CANCELLED. CANCELLED. CANCELLED.

5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

नि.ग /2980/II/15

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,(सागर केम्प)

B.O.R.

5 AUG 2015

1. द्रोपतीबाई पिता किशोरी उम्र लगभग 55 वर्ष
2. माखन उर्फ टीकाराम पिता तिजई पटेल उम्र लगभग 45 वर्ष
3. पूरन बल्द तिजई पटेल उम्र लगभग 50 वर्ष
4. रामेश्वर बल्द तिजई उम्र लगभग 45 वर्ष
5. चंद्रभान बल्द तिजई उम्र लगभग 37 वर्ष
6. गौरीशंकर उर्फ जुगलकिशोर बल्द तिजई पटेल 32 वर्ष

सभी निवासी टेम्पो स्टेड के पास तिली वार्ड सागर

—पुनरीक्षणकतागर्ण

विरूद्ध

1. नर्मदा प्रसाद उर्फ नरबदा उम्र 60 वर्ष पिता नत्थु पटेल

निवासी टेम्पो स्टेण्ड के पास तिली वार्ड सागर

—प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

226
25-08-15

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं 1959

उपरोक्त नामांकित पुनरीक्षणकर्तागण श.प्र.क.111अ/12 वर्ष 14–15 के अंतर्गत किये गये सीमांकन स्वीकृत दिनांक 8.6.15 से दुखित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करते है।

पूरन पटेल
माखन
चन्द्रभान
रामेश्वर
जुगल

पुंनरीक्षण के तत्थ

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2980 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R....../11-15.........जिला सागर

द्रोपदीबाई / नर्मदा प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-15	प्रकरण में आवेदक अभिभाषक श्री गिरधर पटेल अभिभाषक उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है कि यह निगरानी प्रकरण राजस्व निरीक्षक सागर-1 के प्र०क्र०-111/अ-12/2014-2015 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक-8-6-15 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है। आवेदक नरवदा बल्द नत्थू पटेल द्वारा सीमांकन हेतु दिनांक 16-4-15 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सर्वे क्रमांक-158/1 एवं 158/2 रकबा क्रमशः 0.092, एवं 1.011 हेक्टर जो आवेदक के स्वामित्व की है, का सीमांकन का अनुरोध किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त सीमांकन आवेदन पत्र के क्रम में पत्र क्रमांक-क्यू/2014 2015 दिनांक 27-4-15 पटवारी हल्का क्रमांक 63 सागर को भेजकर 15 दिवस में सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। उक्त पत्र के पालन में पटवारी द्वारा दिनांक 31-5-15 को सीमांकन किया गया। सीमांकन रिपोर्ट को राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक-8-6-15 से स्वीकृत किया गया। उक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि भूमि सर्वे क्रमांक-158/1 तथा सर्वे क्रमांक 158/2	

[क्र. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	~~[illegible]~~ / द्रोपदी बाई / नर्वदा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक एवं अनावेदक के सहखाते की भूमि है इन सर्वे नम्बरो मे अन्य 15 और सहखातेदार है जिनके मध्य अभी बटांकन भी नही हुआ है पटवारी नक्शे मे उक्त सर्वे नं. 158 एक ही है, सहखातेदारो के अंशो का नक्शे मे प्रथक-प्रथक बटांकन नही किया गया है। सर्वे क्रमांक 158/1 एवं 158/2 कुल रकवा 0.92 हैक्टर में से अनावेदक सिर्फ 0.35 है० का अंशधारी है। भूमि का बटांकन नक्शे मे न होने से यह भी स्पष्ट नही है कि सीमांकित भूमि के किस भाग पर अनावेदक का कब्जा है। आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि पंचनामा पर सिर्फ तीन ही व्यक्तियों के हस्ताक्षर है जिनमे से एक स्वयं आवेदक के एवं अनावेदक के पुत्र रिछपाल के हस्ताक्षर के अलावा तीसरे किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर है शेष आर० आई०, पटवारी तथा कोटवार के हस्ताक्षर है अन्य किसी सहखातेदार के हस्ताक्षर नही है ऐसी स्थिति मे सीमांकन की कार्यवाही संदेहास्पद होने का भी तर्क दिया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि सीमांकन के संबंध मे किसी सहखातेदार सहित आवेदक एवं अन्य सरहदी सर्वे नम्बरो के काश्तकारों को कोई सूचना भी नही दी गई है उपरोक्त तर्को के साथ सीमांकन स्वीकृति आदेश दिनांक 8-6-14 को निरस्त करने एवं निगरानी ग्राह्य करने का अनुरोध किया गया। आवेदक अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत तर्को के क्रम मे मेरे द्वारा निगरानी मेमो मे अंकित तथ्यो के साथ-2 निगरानी मेमो के संलग्न सीमांकन रिपोर्ट एवं सीमांकन स्वीकृति आदेश दिनांक 8-6-14 का अवलोकन किया	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R: ....../II/15........ जिला ......सागर..........

द्रोपदीबाई / नरवदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निगरानी मेमो के संलग्न अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक सहित अन्य सह खातेदारों को तथा सरहदी काश्तकारों को सीमांकन से पूर्व कोई सूचना दिया जाना नहीं दी गयी है। इसके अतिरिक्त खसरा नकल वर्ष 13-14 के अनुसार सीमांकित भूमि क्रमांक 158/1 एवं 158/2 आवेदक एवं अनावेदक के सहखाते की भूमि है जिसका नक्शे में बटांकन होकर नक्शा तरमीम नहीं हुआ है। सह खातेदारों को सूचना न देना एवं बगैर सूचना के सीमांकन की कार्यवाही की जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक सागर-1 द्वारा किये गये सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 8-6-15 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आप संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के तहत उभय पक्ष सहित सर्व संबंधित हितबद्ध पक्षकारों तथा सरहदी काश्तकारों को सूचना देकर उनके समक्ष सीमांकन की पुनः कार्यवाही करें तथा पुनः सीमांकन की कार्यवाही संपन्न होने तक उक्त सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 8-6-15 के अनुक्रम में संहिता की धारा 250 के तहत की जा रही कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.